न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 04/2024

अपीलान्ट

1. श्रीमती रेखा पत्नि श्री रविन्द्र सिगोदिया
जाति माली
निवासी 44 राम मौहल्ला
नागौरी गेट हाल 47 सूरज नगर
18 सेक्टर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड
नहर ओम किराणा स्टोर के पास
जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेन्टस

1. श्रीमती शांतिदेवी पत्नि स्व.श्री ओमप्रकाश
जाति माली निवासी 44 राम मौहल्ला
नागौरी गेट जोधपुर
2. श्रीमती शारदा सांखला पत्नि श्री भजनसिंह
निवासी मानसागर, मुन्नी महाराज का मन्दिर
महामन्दिर जोधपुर
3. श्रीमती सुशीला परिहार पत्नि श्री नरपतसिंह
जाति माली निवासी 44 राम मौहल्ला
नागौरी गेट, जोधपुर
4. श्रीमती परमेश्वरी टाक पत्नि श्री अक्षयसिंह
जाति माली निवासी टांको का बास
मगरा पूंजला, जोधपुर
5. श्रीमती चन्द्रकान्ता परिहार
पत्नि श्री ओमप्रकाश परिहार
जाति माली निवासी सेवा सदन स्कूल के
पास, कागा की डांडी, महामन्दिर रोड़
कागा जोधपुर
6. श्रीमती निर्मला देवड़ा पत्नि श्री सतीश
जाति माली निवासी गणेश नगर परिहार
नगर, भदवासिया जोधपुर
7. श्रीमती अरूणा सांखला पत्नि श्री धर्मेन्द्र
जाति माली निवासी गैस गोदाम के पास
राजीव नगर महामन्दिर जोधपुर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1904 ग्राम मण्डोर द्वितीय जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.06.2015 को स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

<u>निर्णय</u>

दिनांक: 07.02.2025

अपीलान्ट श्रीमती रेखा [illegible] माली, निवासी 44 राम मौहल्ला नागौरी गेट हाल 47 सूरज नगर 18 [illegible] सनी हाउसिंग बोर्ड, नहर ओम किराणा स्टोर के पास, जो[illegible] 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट श्रीमती शां[illegible] पत्नि स्व.श्री ओमप्रकाश जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

माली निवासी 44 राम मौहल्ला नागोरी गेट जोधपुर व अन्य के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 03.06.2015 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1904 ग्राम मण्डोर द्वितीय को निरस्त कराने एवं माफिक शुद्धि पत्र अपीलान्ट के नाम खसरा संख्या 853 ग्राम मण्डोर द्वितीय की 01 बीघा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डोर द्वितीय तहसील जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नं0 852 व 853 स्थित है जिसके सह खातेदार ओमप्रकाश उर्फ ओमदत्त पुत्र खींवराज थे जिनके द्वारा उक्त भूमि में अपने हिस्से में से खसरा नं0 853 में से 01 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों बाबत एक बख्शीशनामा दिनांक 25.06.2012 को अपीलार्थी जो की उनकी पुत्री है के पक्ष में निष्पादित किया गया व पंजीकृत करवाया गया। उक्त बख्शीशनामें में टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 853 के स्थान पर 852 टंकित हो गया जिसकी जानकारी होने पर बख्शीशकर्ता ने एक शुद्धि पत्र दिनांक 04.01.2016 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया इस दौरान पूर्व में निष्पादित बख्शीशनामा के आधार पर नामान्तस्करण संख्या 1904 खसरा नं0 852 के संदर्भ में स्वीकार कर दिया गया। अपीलार्थी एक महिला है उसने समझा की शुद्धि पत्र के आधार पर रेकर्ड में खसरा नम्बर बदल दिये जावेंगे इसलिए उसने रेकर्ड की और ध्यान नही दिया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.05.2024 को खसरा नम्बर 853 की जमाबन्दी की नकल मांगने पर उन्होने बताया की खसरा नम्बर 853 खाते में अपीलार्थी के नाम दर्ज नही है बल्कि खसरा नम्बर 852 दर्ज है एवं जब तक उक्त नामान्तरकरण संख्या 1904 निरस्त होकर खसरा नम्बर 853 बाबत नया नामान्तरकरण स्वीकार नही होगा तब तक राजस्व रेकर्ड में अपीलार्थी के नाम खसरा नम्बर 853 का इन्द्राज नही हो सकता तब अपीलार्थी ने दिनांक 03.05.2024 को उक्त नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1904 के विरूद्ध यह अपील अपीलार्थी एक अशिक्षित महिला होने से बक्शीशनामें में हुई लिपिकिय त्रुटि के बारे में पूर्व में उसे जानकारी नही होने से बक्शीशनामें के आधार पर खसरा नं0 852 का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम स्वीकार कर दिया जाने, शुद्धि पत्र के जरिये उक्त लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त करने के पश्चात खसरा नं0 853 की भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने चाहिये थे परन्तु नामान्तरकरण संख्या 1904 पहले ही खसरा नं0 852 के बारे में स्वीकार हो जाने आदि आधारो पर पेश की गयी है। बख्शीशकर्ता ओमप्रकाश का स्वर्गवास हो चुका है एवं रेस्पोंडेन्टस बख्शीशकर्ता के विधिक उत्तराधिकारीगण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1904 दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाने एवं माफिक शुद्धि पत्र अपीलार्थी के नाम खसरा नं0 853 ग्राम मण्डोर द्वितीय की 01 बीघा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1904 दिनांक 03.06.2015 निरस्त किया जाने एवं माफिक शुद्धि पत्र अपीलार्थी के नाम खसरा नं0 853 ग्राम मण्डोर द्वितीय की 01 बीघा भूमि का नामान्तरकरण स्वीकार करनें का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन विचारण करने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचते है कि ग्राम मण्डोर द्वितीय तहसील जोधपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 852 व 853 में सह खातेदार ओमप्रकाश उर्फ ओमदत्त पुत्र खींवराज थे जिन्होने उक्त खसरे की भूमि के अपने हिस्से में से खसरा नं0 853 में से 01 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारों बाबत एक बख्शीशनामा दिनांक 25.06.2012 को अपीलान्ट जो की उनकी पुत्री है के पक्ष में निष्पादित किया कर पंजीबद्ध करवाया गया। उक्त बख्शीशनामें में टंकण सम्बन्धी त्रुटि के कारण खसरा नम्बर 853 के स्थान पर 852 टंकित हो गया जिसकी जानकारी होने पर बख्शीशकर्ता ने एक शुद्धि पत्र दिनांक 04.01.2016 को निष्पादित कर उसका पंजीयन करवा दिया किन्तु इस दौरान पूर्व में निष्पादित बख्शीशनामा के आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तस्करण संख्या 1904 ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा नं0 852 के संदर्भ में स्वीकार कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस बख्शीशनामा के आधार पर भरा गया उसमें खसरा संख्या 853 के बजाए खसरा संख्या 852 टंकण संबंधी त्रुटि की वजह से टंकित हो गया। उक्त बख्शीशनामा में खसरा संख्या 853 के स्थान पर खसरा संख्या 852 दोनों खसरों की जमाबन्दी एक होने से टंकण त्रुटिवश टंकित हो गया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2015 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1904 ग्राम मण्डोर द्वितीय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारों को सुनकर नियमानुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण में दर्ज खसरा संख्या 852 के स्थान पर खसरा संख्या 853 दुरूस्त करते हुए नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 07.02.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested